न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 15 / 2022
प्रविष्टि दिनांकः— 01.06.2022
निर्णय दिनाकः— 07.03.2024

उनवान

1. रतनी पत्नि जस्साराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गिर्राज पुत्र जस्साराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. गीता पुत्री जस्साराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. घीसी पुत्री जस्साराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रामधन पुत्र जस्साराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0

..........अपीलाण्ट्स

बनाम

1. धर्मचन्द पुत्र जस्साराम जाति गुर्जर निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. भैरू पुत्र सुगनचन्द जाति गुर्जर निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. श्योजी पुत्र सुगनचन्द जाति गुर्जर निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. काली पुत्री सुगनचन्द जाति गुर्जर निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सीता पुत्री सुगनचन्द जाति गुर्जर निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. सन्तरा पुत्री सुगनचन्द जाति गुर्जर निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार, देवली जिला—टोंक राज0
8. गोपाल पुत्र सुगनचन्द जाति गुर्जर निवासी मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज0

........रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0भू—राजस्व अधिनियम विरूद्व नामान्तरकरण सं0 14 दिनांक 5—10—1991 वाके ग्राम डाबरकला पटवार हल्का मालेड़ा भू0अ0 क्षेत्र नासिरदा तह0 देवली जिला—द्वारा तस्दीक किया गया

उपस्थितः(1) श्री विजयबहादुरसिंह, श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2) श्री मनीष कासलीवाल, श्री मो0 मुजाहिद अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

निर्णय

दिनांक 07.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डाबरकलां तहसील देवली में आराजी खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 2653/92 रकबा 0.6292 है0 खसरा नम्बर 727 रकबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 827 रकबा 0.7500 है0,खसरा नम्बर 97 रकबा 0.9500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.8392 है0 स्थित है जो अपीलान्ट्स व रेस्पोडेट्स सं0 1 ता 6 व 8 के पूर्वज रघुनाथ पुत्र रामा गुर्जर निवासी डाबरकलां की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि हैं। पक्षकारान के पूर्वज रघुनाथ के तीन पुत्र मांगीलाल, सुगनचन्द व जस्साराम हुए थे, जिनमें से जस्साराम की मृत्यु अपने पिता रघुनाथ के जीवित रहते हुए दिनांक 15.03.1986 को हो गई थी। अपीलान्ट्स व रेस्पोडेट्स नं0 1 जस्साराम के विधिक वारिस पुत्र, पुत्री व पत्नि हैं। रघुनाथ का भी देहान्त वर्ष 1991 में हो गया है। तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण रघुनाथ के वारिसान की सही जांच किये बिना मांगीलाल, सुगनचन्द व धर्मचन्द के नाम खोल दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स की ओर से अपील उक्त नामान्तरकरण सं0 14 दिनांक 05.10.1991 ग्राम मालेडा तह0 देवली को निरस्त कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर रघुनाथ के सही वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही अपील पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा–5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अपील अपीलाण्ट्स न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर जरिये सम्मन रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली भी मंगवाई गयी। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम डाबरकलां तहसील देवली में आराजी खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 2653/92 रकबा 0.6292 है0 खसरा नम्बर 727 रकबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 827 रकबा 0.7500 है0,खसरा नम्बर 97 रकबा 0.9500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.8392 है0 भूमि उनके पूर्वज रघुनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड है, रघुनाथ की मृत्यु के पश्चात तहसीलदार देवली ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण सं0 14 दिनांक 05.10.1991 रघुनाथ के वारिसान की सही जांच किये बिना मांगीलाल, सुगनचन्द व धर्मचन्द के नाम खोल दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवली द्वारा रघुनाथ के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना जांच किये सिद्धान्तों के विपरीत जाकर मनमाने तरीके के खोला गया है, जबकि रघुनाथ के वारिसान का सिजरा इस प्रकार है :–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

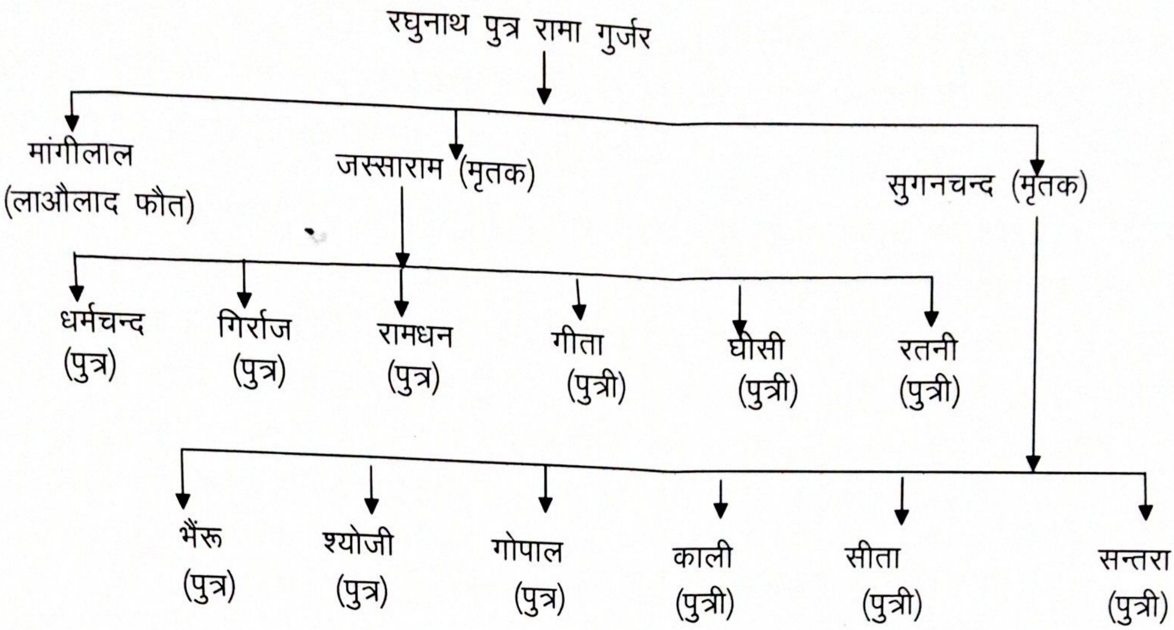

प्रदर्शित शजरा वंशावली से स्पष्ट है कि रघुनाथ का देहान्त होने के बाद तहसीलदार देवली द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण रघुनाथ के वारिसान मांगीलाल, सुगनचन्द व धर्मचन्द के नाम खोल दिया गया, जबकि धर्मचन्द जस्साराम का पुत्र था एंव जस्साराम के धर्मचन्द के अलावा अपीलान्ट्स पुत्र, पुत्री व पत्नि विधिक वारिसान एंव उत्तराधिकारी थे। तहसीदार द्वारा जस्साराम के स्थान पर धर्मचन्द के नाम नामान्तकरण धर्मचन्द को रघुनाथ का पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण खोल दिया गया जो न्याय के सिद्वान्तों के वितरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 14 दिनांक 5–10–1991 ग्राम मालेड़ा तहसील देवली निरस्त कर तहसीलदार देवली को आदेशित किया जावे कि वे पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर रघुनाथ के वारिसान का नामान्तरकरण तस्दीक करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस पर सहमति प्रदान कर अपील में अंकित तथ्यों का समर्थन किया एंव अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की गई।

5. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा ग्राम डाबरकलां तहसील देवली में आराजी खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.26 है0 खसरा नम्बर 2653/92 रकबा 0.6292 है0 खसरा नम्बर 727 रकबा 0.2500 है0, खसरा नम्बर 827 रकबा 0.7500 है0,खसरा नम्बर 97 रकबा 0.9500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.8392 है0 भूमि का नामान्तरकरण सं0 14 दिनांक 5–10–1991 स्वीकार किया है जो विधिक वारिसान की जॉच किये बिना एंव वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये बिना स्वीकार किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कर तहसीलदार देवली का निर्णय दि0 05–10–1991 निरस्त करते हुए मृतक रघुनाथ के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार देवली को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. फलतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर तहसीलदार देवली का निर्णय दिनांक 5–10–1991 जिसके अन्तर्गत नामान्तकरण सं0 14 ग्राम मालेड़ा स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कर पत्रावली तहसीलदार देवली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए मृतक खातेदार रघुनाथ पुत्र रामा गुर्जर के वारिसान की पूर्ण जांच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज.)